संख्या:311/2015/3512जेएल/22-3-15-100(119)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार-सुलतानपुर में निरूद्ध 09 विचाराधीन बंदियों को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44315/सामा-1(3)/भाग-।। नैनी मं0/2009, दिनांक 14-10-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार **जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 09 बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित करने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सभी विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी:-**

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	प्रमोद तिवारी उर्फ छोटू तिवारी पुत्र केदार तिवारी	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 मथुरा।
2	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 बिजनौर।
3	बैजनाथ यादव पुत्र श्री राम अचल यादव	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 गौतमबुद्धनगर।
4	जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 गाजियाबाद।
5	मो0 आदिल उर्फ रूखसार पुत्र श्री शाहबुद्दीन	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 मेरठ।
6	फिरोज अहमद उर्फ जलीस पुत्र श्री निसार	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 सहारनपुर।
7	राज सिंह उर्फ वीर सिंह उर्फ सर्वेश सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 बरेली।
8	सौरभ सिंह उर्फ हैप्पी सिंह पुत्र श्री दान बहादुर सिंह	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 पीलीभीत।
9	सतीश सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र श्री कौशलेन्द्र	जि0का0 सुलतानपुर।	जि0का0 बुलन्दशहर।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:311/2015/3512जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर/मथुरा/बिजनौर/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बरेली/पीलीभीत/बुलन्दशहर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।